

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 36 अ-82/17-18 मौजा पस्तलाई माल/4213 बैतूल दिनांक 4 - 04-2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	आमला	पस्तलाई माल	23.654	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पस्तलाई (स्टोरेज) लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	लखन व. सावन्या जाति भोयर	149/12	1.207	0.380
2	पुरनलाल जगदीश जयपाल पिता भादू अनिकेत ना.बा. पिता भादू वली मॉ रामरती जाति चम्हार	149/1	9.010	4.340
3	शांता जौ. अंतु जाति भोयर	149/11	2.000	0.180
4	गंगा जौ. रामचन्द्र जाति भोयर	149/5	1.619	0.800
5	पूर्णावती जौ. बालमुकुन्द जाति गौली	143/3	3.131	1.520
6	बालमुकुन्द व. कालू जाति गौली	142/3	1.499	0.700
		142/2	1.497	0.650
7	किसन व. कालू जाति गौली	142/1	1.498	0.610
8	लक्ष्मण पूत्र टन्टी	144/1	0.364	0.364
		144/7	1.639	1.639
9	कंलाबाई पति कपूरचंद जाति पंवार	144/2	0.364	0.364
		144/6	1.716	1.716

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
10	कपूरचंद व टन्टी जाति पंवार	144/3	0.364	0.364
		144/5	1.744	1.564
11	फुलचंद पुत्र टन्टी	144/4	0.364	0.364
		144/8	1.761	1.761
12	आत्माराम मुन्नालाल खेमचन्द व. घुग्गू फुलमत व. घुग्गू कमल प्रसाद वल्द दयाराम ताराबाई पिता घुग्गू जाति मेहरा	144/9	0.182	0.182
		144/10	0.858	0.858
13	बाबूलाल छोटेलाल पुत्रगण दमडू	140	2.084	0.690
14	फुलवंती बेवा शिवचरण मधु सुंदरलाल अशोक चिन्ध्या दुर्गी पिता शिवचरण	70/1	1.750	0.200
15	बाबुलाल व केवजी	70/2	0.900	0.780
		70/7	0.850	0.430
16	जयवंती बेवा नाथुराम पिन्दुगंगा व नाथुराम	70/3	0.900	0.800
		70/6	0.850	0.080
17	भैयालाल पिता केवजी	70/4	0.900	0.850
		70/8	0.850	0.730
18	तुलस पिता केवजी बसंत आनंद पिता जंगल्या	70/5	0.738	0.738
योग			40.639	23.654

1- चूँकि पस्तलाई (स्टोरेज) लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,




 (शशांक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

१

बैतूल दिनांक 4 - 4-2018

पृ0क0 36 अ-82/वर्ष 17-18/पस्तलाई माल/4813

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार आमला की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सोमलापुर तहसील आमला जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग